TRAI

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

सत्यमेव जयते

सिफारिशें

भारत में ' Su-generis' श्रेणी के तहत गेटवे का उपयोग कर सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क की लेवी की पद्धति

पर

27 दिसंबर 2018

महानगर दूरसंचार भवन
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

सामग्री

अध्याय I: परिचय 1

अध्याय-II: BSNL द्वारा उपग्रह आधारित सेवाओं में मुद्दे 11

अध्याय- III: सिफारिशों की सूची 25

अध्याय I: परिचय

A. DoT संदर्भ

1.1 दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने पत्र दिनांकित 13 अगस्त, 2018 **(अनुबंध -11)** के जरिए सूचित किया कि 12 मई, 2014 को 'INMARSAT / सैटेलाइट फोन सेवाओं का प्रावधान' पर TRAI की सिफारिशों के आधार पर मेसर्स BSNL को दूरसंचार विभाग द्वारा "Su-generis" श्रेणी के तहत भारत में गेटवे का उपयोग कर सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए 25 अगस्त, 2014 को एक सेवा लाइसेंस प्रदान किया गया। यह भी उल्लेख किया गया है कि TRAI की सिफारिशों ने "Su-generis" श्रेणी के तहत सेवाओं के प्रावधान के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी। इसके अलावा सेवा लाइसेंस में उल्लेख किया गया है कि लागू चार्जिंग ऑर्डर के अनुसार स्पेक्ट्रम से संबंधित शुल्क देय हैं। इसी के मुताबिक, WPC विंग गेटवे और उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को व्यवहार में चार्जिंग ऑर्डर के अनुसार जारी रखा गया था (जो कि फार्मूला के आधार पर है और उनके द्वारा उपयोग किए गए टर्मिनलों और आवृत्ति बैंडविथ की संख्या के अनुपात में है)। मेसर्स BSNL वाणिज्यिक VSAT सेवा के अनुरूप इस सेवा के प्रावधान के लिए समायोजित सकल राजस्व (AGR) के आधार पर स्पेक्ट्रम चार्जिंग की वर्तमान पद्धति को बदलने के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध कर रहा है। इसलिए, TRAI ने TRAI अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) के तहत प्रावधान के अनुसार, TRAI से वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क वसूलने की विधि पर अपनी सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया है।

B. पृष्ठभूमि

1.2 अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसार, केवल इनमारसैट संगठन को समुद्री अनुप्रयोगों के लिए ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम (GMDSS) सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

1.3 भारत INMARSAT और मेसर्स TCL (तत्कालीन मेसर्स VSNL, तत्कालीन मैसर्स ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस) का एक संस्थापक सदस्य है, ने इनमारसैट उपग्रह टर्मिनलों के लिए अरवी, पुणे में गेटवे की स्थापना की थी। इन सेवाओं का उपयोग मुख्य रूप से समुद्री संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता था। जैसा कि इनमारसैट गेटवे देश में उपलब्ध था, इनमारसैट उपग्रह टर्मिनलों को कुछ बंदिशों के साथ कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भूमि-आधारित उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी।

1.4 जहां इनमारसैट सेवाएं समुद्री संचार को पूरा कर रही थीं, सरकार ने वर्ष 2001 में गैर-विशिष्ट आधार

पर देश में सैटेलाइट (GMPCS) सेवा (सैटेलाइट टेलीफोन सेवा) लाइसेंस द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन की शुरुआत की। लाइसेंसधारी द्वारा भारत में GMPCS गेटवे की स्थापना लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अंतर्गत अनिवार्य है।

1.5 वर्ष 2001 में GMPCS लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किये जाने के बाद, दूरसंचार विभाग को GMPCS लाइसेंस प्रदान करने के लिए इनमारसैट सहित विभिन्न उपग्रह ऑपरेटरों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए। हालांकि, कोई भी ऑपरेटर GMPCS लाइसेंस को हासिल नहीं कर सका, क्योंकि देश में गेटवे की स्थापना लाइसेंस समझौते में निर्धारित तकनीकी आवश्यकताओं में से एक है, जिसमें काफी वित्तीय व्यय की आवश्यकता होती है और इसलिए, सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं के होने से इसे फिर से प्राप्त करने योग्य नहीं माना गया ।

1.6 चूंकि कोई अन्य ऑपरेटर भारत में गेटवे स्थापित करने में सक्षम नहीं था, इसलिए दूरसंचार विभाग (उचित विचार-विमर्श के बाद) ने दिसंबर 2010 में BSNL को देश में इनमारसैट या किसी अन्य सैटेलाइट ऑपरेटर के लिए सैटेलाइट टेलीफोन सेवा के प्रावधान के लिए GMPCS गेटवे की स्थापना की संभावना की जांच करने के लिए कहा। जुलाई 2012 में, BSNL ने दूरसंचार विभाग को बताया कि इनमारसैट इन सेवाओं के लिए BSNL के साथ प्राथमिक सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गया है; हालांकि, BSNL ने दूरसंचार विभाग से बजटीय सहायता की मांग की। दूरसंचार विभाग ने USO फंड से वित्तीय सहायता के साथ उपग्रह टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए GMPCS गेटवे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी और BSNL को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) प्रस्तुत करने और GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कहा।

1.7 2013 में, बीएसएनएल ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया कि वह GMPCS लाइसेंस प्राप्त करने का नहीं, बल्कि इनमारसैट सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव दे रहा है, जो विशेष रूप से आपदा प्रबंधन और समुद्री अनुप्रयोगों के लिए सैट फ़ोन / डाटा टर्मिनल के संचालन के लिए अधिक अनुकूल हैं। इसने यह भी बताया कि इनमारसैट दुनिया में कहीं भी GMPCS लाइसेंस के तहत काम नहीं कर रहा है।

1.8 DoT ने 13 दिसंबर 2013 के अपने संदर्भ के माध्यम से TRAI को सूचित किया कि इनमारसैट सेवाओं को अन्य देशों में GMPCS सेवाओं के रूप में संचालित नहीं किया जा रहा है और इनमारसैट सेवाओं को आमतौर पर राष्ट्रीय नियामकों द्वारा उनकी विशिष्ट भूमिका के वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और ज्यादातर इनमारसैट सेवाओं को सिर्फ बस 'इनमारसैट सर्विसेज' के रूप में 'sui generis' श्रेणी में विनियमित किया जाता है। दूरसंचार विभाग ने आगे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार,

आज तक, केवल इनमारसैट को समुद्री अनुप्रयोगों के लिए GMDSS सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है। बीएसएनएल के माध्यम से GMPCS लाइसेंस / प्राधिकरण के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इनमारसैट की असहमति के कारण, दूरसंचार विभाग ने TRAI से एकीकृत लाइसेंस के तहत इनमारसैट सेवाओं को शामिल करने के लिए अपनी सिफारिशें, उपयुक्तता और व्यवहार्यता प्रदान करने का अनुरोध किया।

1.9 मामले की जांच के बाद, ट्राई ने इस पर भेजीं अपनी सिफारिशें भेजीं ''12th May, 2014 को दूरसंचार विभाग तक इनमारसैट / सैटेलाइट फोन सेवाओं का प्रावधान. तद्नुसार, TRAI, *अन्य बातों के साथ,* निम्नलिखित सिफारिशें की:

(a) डीओटी बीएसएनएल को 'sui generis' श्रेणी के तहत गेटवे की स्थापना के लिए अधिकृत कर सकता है।

(b) DoT ऐसे प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और PBG की छूट के लिए BSNL के अनुरोध पर विचार कर सकता है;

(c) AGR का लाइसेंस शुल्क @ 8% ऐसे अधिकारियों के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

1.10 TRAI की सिफारिशों के आधार पर, 25 अगस्त 2014 को, दूरसंचार विभाग ने 'sui generis' श्रेणी के तहत गेटवे का उपयोग करके सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए BSNL को एक सेवा लाइसेंस प्रदान किया।

1.11 BSNL ने गाजियाबाद में गेटवे की स्थापना की और मई 2017 में ग्लोबल सैटेलाइट फोन (GSP) सेवा शुरू की। लाइसेंस BSNL को सभी प्रकार की मोबाइल उपग्रह सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है। हालांकि, किसी भी सेवा को शुरू करने से पहले, लाइसेंसकर्ता से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लाइसेंस समझौते के प्रासंगिक खंड नीचे फिर से प्रस्तुत किए जाते हैं:

(i) BSNL के 'sui-generis' लाइसेंस का खंड 44.1 सेवा के दायरे से संबंधित है जो प्रदान करता है:

"44.1 लाइसेंसधारक अपने संचालन के क्षेत्र में, INMARSAT सेवा जैसी सभी प्रकार की मोबाइल उपग्रह सेवाएं प्रदान कर सकता है। इनमें वॉयस और नॉन-वॉयस संदेश, डेटा सेवाएं शामिल हो सकती हैं, गेटवे इन इंडिया में सर्किट और / या पैकेट स्विच सहित किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें लागू नियमों और कानूनों के अधीन भारत में संकटपूर्ण संदेशों का प्रसारण या भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर भी शामिल होगा। "

(ii) सेवा के प्रावधान से संबंधित लाइसेंस का खंड 7 कहता है

“इस लाइसेंस समझौते के तहत अधिकृत सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारी सभी लागू प्रणालियों को स्वयं स्थापित करने, परीक्षण और कमीशन करने के लिए जिम्मेदार और अधिकृत हैं। लाइसेंसधारी की ओर से स्थापित सेवा की निगरानी के लिए नेटवर्क और आवश्यक सुविधाओं का विवरण रखने वाले किसी भी सेवा क्षेत्र में किसी भी सेवा के शुरू होने की प्रस्तावित तारीख से पहले लाइसेंसी लाइसेंसकर्ता को अच्छी तरह से सूचित किया जायेगा। इस लाइसेंस समझौते के दायरे में अनुमत कोई भी सेवा, लाइसेंसधारक की पूर्व स्वीकृति के बाद ही लाइसेंसधारी द्वारा शुरू की जाएगी। इस तरह की सूचना प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा, बशर्ते कि लागू प्रणाली / सेवा मोटे तौर पर लाइसेंस के दायरे के मुताबिक हो और आवश्यक निगरानी सुविधाओं को सफलतापूर्वक लाइसेंसधारक द्वारा पेश किया जाता हो।”

1.12 को लाइसेंस समझौते के 44.1 और 7 के तहत वॉयस और नॉन-वॉयस मैसेजिंग सेवाओं को शुरू करने के अनुमोदन के बारे में BSNL को दूरसंचार विभाग के पत्र दिनांक 23 मई, 2017 द्वारा अवगत कराया गया।

1.13 ग्लोबल सैटेलाइट फोन (GSP) सेवा BSNL द्वारा अंतिम ग्राहकों को प्रदान की जा रही है और मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्र संचार के लिए उपयोग की जाती है। अब तक, मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। 30 नवंबर, 2018 को BSNL की GSP सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों का विवरण नीचे दिया गया है:

Table 1.1: BSNL की GSP सेवा के सब्सक्राइबर्स का विवरण
30th November 2018 तक

श्रेणी	माइग्रेट सब्सक्राइबर्स	BSNL द्वारा जोडे गये नये सब्सक्राइबर्स	GSP सर्विस सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या
सरकारी एजेंसियां	1471	2176	**3647**
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)	6	106	**112**
निजी उद्यम / व्यक्तिगत	-	168	**168**
Grand Total	**1477**	**2450**	**3927**

Notes:

1. माइग्रेटेड सब्सक्राइबर वे हैं जो इनमारसैट सेवा के मौजूदा उपयोगकर्ता थे और उनके पास पहले से ही GSP सर्विस हैंडसेट मौजूद थे। इन उपयोगकर्ताओं के लिए, केवल सेवाओं को BSNL में स्थानांतरित किया गया है।
2. नए ग्राहक वे हैं, जिन्होंने BSNL से GSP सर्विस हैंडसेट (मॉडल- Isatफोन2) और सेवाएं खरीदी हैं।

1.14 BSNL द्वारा सेवाओं के शुभारंभ के बाद से, ग्राहकों में लगातार वृद्धि हुई है, हालांकि यह वृद्धि ग्राहक आधार नहीं है ।

बहुत ऊँचा। नीचे दिया गया चार्ट सेवाओं की मांग में रुझान दिखाता है।

चार्ट 1.1: BSNL की GSP सेवा के ग्राहकों में वृद्धि

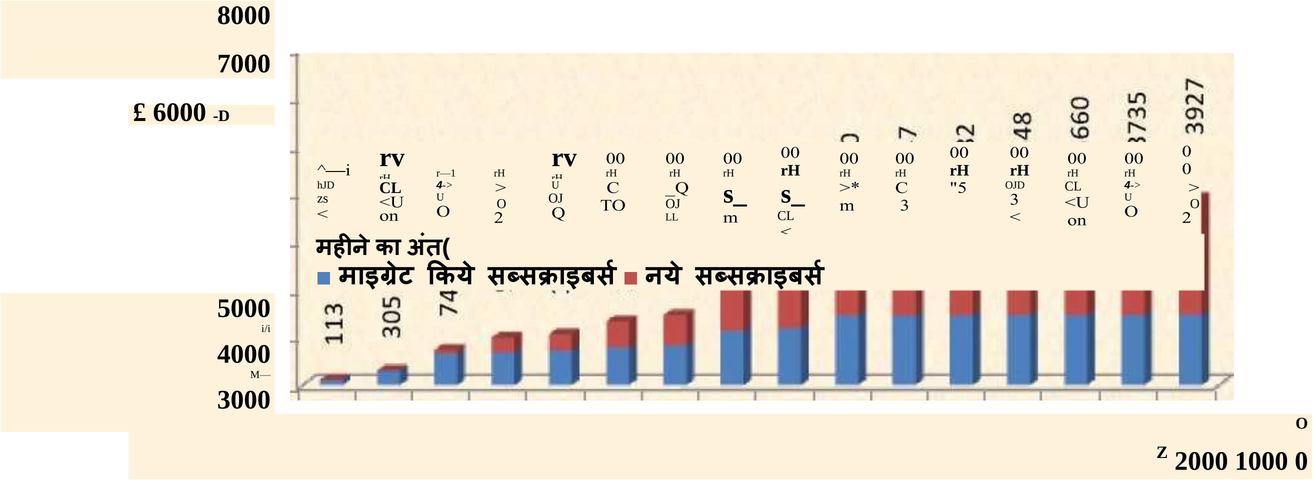

1.15 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वर्तमान में BSNL को केवल वॉयस और नॉन-वॉयस मैसेजिंग सेवाओं को अपने सब्सक्राइबर्स को देने की अनुमति है। BSNL द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सैटेलाइट फोन उपयोगकर्ता का औसत उपयोग एक महीने में लगभग 21 मिनट वॉयस कॉल और 13 SMS है। नीचे दिया गया चार्ट उपयोग और SMS के मिनटों में वृद्धि दर्शाता है।

चार्ट 1.2: BSNL की GSP सेवा के उपयोग में वृद्धि

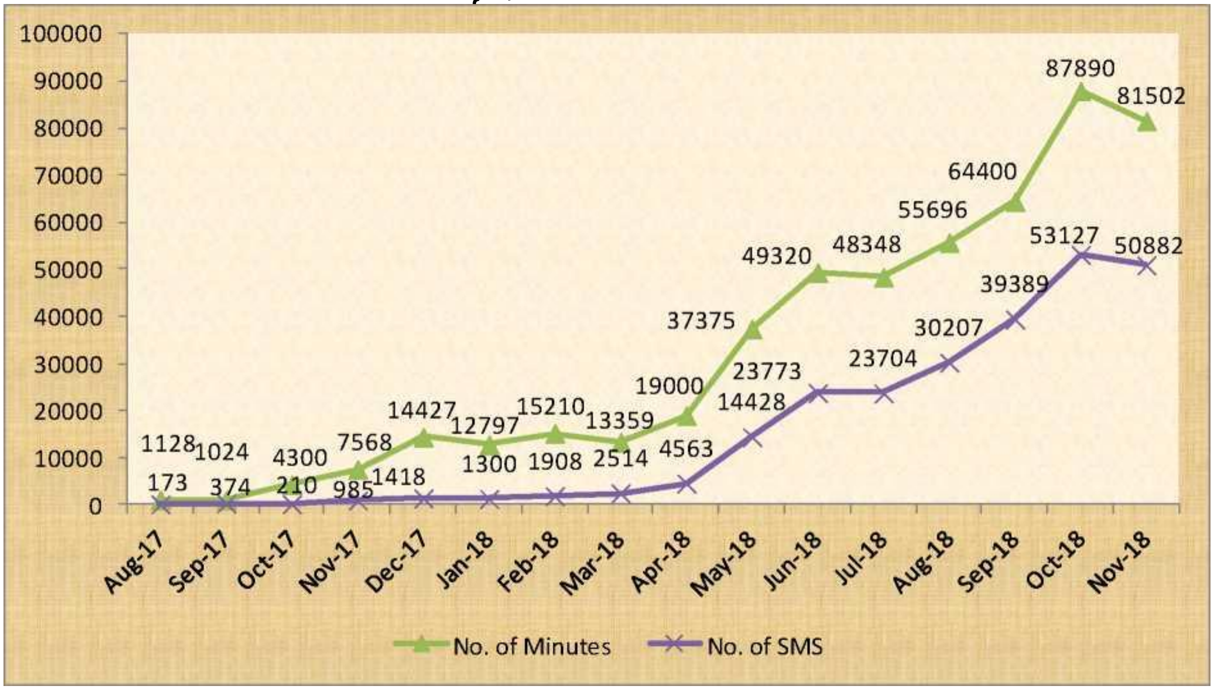

1.16 नीचे दिया गया चार्ट BSNL के GSP सेवा से अर्जित कुल राजस्व को दर्शाता है। कुल राजस्व में सेवाओं से राजस्व, हैंडसेट की बिक्री और LF और स्पेक्ट्रम शुल्क का संग्रह शामिल है। कुछ महीनों के दौरान राजस्व में दिख रहा उछाल मुख्य रूप से हैंडसेट की बिक्री से राजस्व के कारण है, जो गैर-आवर्ती राजस्व है।

चार्ट 1.3: GSP सेवा से BSNL को प्राप्त हुआ राजस्व

Total revenue (Rs. in Million)

C. दूरसंचार विभाग से संदर्भ के कारण

1.17 BSNL को जारी किए गए सेवा लाइसेंस में उल्लेख किया गया है कि स्पेक्ट्रम से संबंधित शुल्क लागू चार्जिंग ऑर्डर के अनुसार देय हैं। संचालित चार्जिंग आदेशों के अनुसार (जो फार्मूला आधारित है और टर्मिनलों की संख्या और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली आवृत्ति बैंडविड्थ के लिए आनुपातिक है), BSNL द्वारा प्रति टर्मिनल आधार पर रु. 14,250/- प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, गेटवे के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क अलग से लिया जाता है, जो कि रु. 37,81,000/- प्रति वर्ष है।

1.18 अपने पत्र दिनांकित 9 अप्रैल 2018 के माध्यम से, बीएसएनएल ने दूरसंचार विभाग को सूचित किया कि उपयोगकर्ताओं को हैंडसेट के आयात और जारी करने से पहले LOI जारी करने के समय 14,250/- रुपये प्रति टर्मिनल का भुगतान करने के लिए कहा गया है। हालांकि, उपयोगकर्ता विभाग BSNL के आदेशों को तुरंत लागू नहीं करता है, क्योंकि फंड की उपलब्धता और वित्तीय सहमति आदि सहित कई कारक हैं। BSNL द्वारा हैंडसेट खरीदने और उपयोगकर्ता विभाग को सैटफ़ोन मिलने के बीच 3 से 6 महीने का अंतर है। LOI जारी होने के समय BSNL इस शुल्क का भुगतान उपयोगकर्ताओं की ओर से करता है। BSN पहले ही टर्मिनल आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए लगभग 11.4 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है। BSNL 'एजीआर आधारित चार्जिंग' के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के लिए कार्यप्रणाली में बदलाव का अनुरोध कर रहा है, क्योंकि उसने 2,000 IsatPhone2 हैंडसेट के आयात की अनुमति के लिए जून 2017 में आवेदन किया था। BSNL के अनुसार, चार्जिंग विधि एजीआर के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि SatPhones पर प्रदान की गई GSP सेवा वाणिज्यिक VSAT सेवा के समान है। दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांकित 6 जुलाई 2017 की व्याख्या की थी, जिसमें अन्य के साथ BSNL को सूचित किया था कि स्पेक्ट्रम चार्जिंग के लिए कार्यप्रणाली की जांच की जा रही है।

1.19 उपरोक्त के मद्देनजर, दूरसंचार विभाग ने TRAI से अनुरोध किया कि वह भारत में sui-generis श्रेणी के तहत गेटवे का उपयोग करके सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए BSNL द्वारा सेवाओं के प्रावधान के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने की कार्यप्रणाली पर अपनी सिफारिशें प्रदान करे।

D. परामर्श प्रक्रिया

1.20 'sui-generis' श्रेणी के तहत भारत में स्थापित गेटवे का उपयोग करते हुए उपग्रह आधारित सेवाओं के

प्रावधान के लिए ‘स्पेक्ट्रम के तरीकों के लिए शुल्क लगाने’ पर एक परामर्श पत्र 10 अक्टूबर, 2018 को जारी किया गया था और विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई थी। टिप्पणियों को जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2018 थी और जवाबी टिप्पणियों के लिए यह 8 नवंबर, 2018 थी। प्राधिकरण ने 9 हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त कीं। ये TRAI की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। ओपन हाउस डिस्कशन का आयोजन 12 नवंबर, 2017 को नई दिल्ली में किया गया था।

1.21 हितधारकों से प्राप्त इनपुट और उसके आंतरिक विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने इन सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। सिफारिशों में तीन अध्याय शामिल हैं। अध्याय- I विषय का परिचय देता है। अध्याय- II में, मुद्दों, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और विश्लेषण के आधार पर चर्चा की गई है, जिनके आधार पर सिफारिशों को तैयार किया गया है। अध्याय- III सिफारिशों को सूचीबद्ध करता है।

अध्याय- II: BSNL द्वारा सेटेलाइट आधारित सेवाओं में शामिल मुद्दे

A. लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की लेवी

2.1 लाइसेंस समझौते के मुताबिक, AGR के 8% की दर से लाइसेंस शुल्क (LF) देय है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, स्पेक्ट्रम शुल्क के संबंध में, BSNL को जारी किए गए सेवा लाइसेंस में उल्लेख किया गया है कि स्पेक्ट्रम से संबंधित शुल्क लागू चार्जिंग आदेशों के अनुसार देय हैं। वर्तमान में जारी चार्जिंग आदेशों के अनुसार (जो कि फार्मूला आधार है और टर्मिनलों की संख्या और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली आवृत्ति बैंडविड्थ के लिए आनुपातिक है), इसके अलावा वार्षिक लाइसेंस शुल्क 250 रुपये प्रति मोबाइल इनमारसैट टर्मिनल और 500 रुपये प्रति फिक्स्ड इनमारसैट टर्मिनल, वार्षिक स्पेक्ट्रम लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से शुल्क देय हैं। प्रत्येक आवृत्ति के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (रॉयल्टी) की गणना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार की जाती है।

रॉयल्टी, R (रुपये में) = 35000 x Bs

टेबल 2.1: उपग्रह संचार के लिए बैंडविड्थ कारक (Bs)

एक आवृत्ति को सौंपी गई बैंडविड्थ (W KHz)	बैंडविड्थ कारक, अपलिंक के लिए B_s		बैंडविड्थ कारक, डाउनलिंक के लिए B_s	
	ब्रॉडकास्ट	अन्य	ब्रॉडकास्ट	अन्य
100 MHz तक और सहित	0.25	0.20	शून्य	0.20
100 KHz से अधिक और 250 KHz तक और सहित	0.60	0.50	शून्य	0.50
250 MHz से अधिक और 500 kHz तक और सहित	1.25@	1.00@	शून्य	1.00@
हर 500 kHz के लिए या एक हिस्से के लिए	1.25@	1.00@	शून्य	1.00@

[@ हर 500 kHz या एक हिस्से के लिए]

नोट: (i) एक सिद्धांत के रूप में, रेडियो स्पेक्ट्रम के लिए शुल्क अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि संसाधन की प्रकृति समान रहती है। हालांकि चार्जिंग सिर्फ भारतीय क्षेत्र में या प्रेषित आवृत्तियों के संबंध में होगा।

2.2 उपरोक्त गणना से, 14,250/- रूपए प्रति मोबाइल टर्मिनल का वार्षिक शुल्क देय है (स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में 14,000 रुपये और लाइसेंस शुल्क के रूप में 250 रुपये)। इसके अलावा, गेटवे के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क एक ही पद्धति का प्रयोग करके अलग से पैरा 2.1 में विस्तृत रूप से वसूला

जाता है, जिसकी राशि 37,81,000/ - रुपये प्रति वर्ष है।

2.3 जैसा कि BSNL द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपर्युक्त वार्षिक हैंडसेट आधारित शुल्क (स्पेक्ट्रम शुल्क + LF) 14,250/ - रुपये प्रति टर्मिनल है, जो उपयोगकर्ताओं को हैंडसेट के आयात और जारी करने से पहले LOI जारी करने के समय अग्रिम में देय हैं। हालाँकि, इन टर्मिनलों (हैंडसेट) के वास्तविक उपयोग में कुछ समय लगेगा और इसलिए, BSNL द्वारा हैंडसेट की खरीद और उपयोगकर्ता विभाग को टर्मिनलों को प्राप्त करने के बीच हमेशा 3 से 6 महीने या इससे भी ज्यादा का अंतर होगा। इसके अलावा, रखरखाव उद्देश्यों के लिए कुछ हैंडसेट को पुर्जों के रूप में रखना आवश्यक होगा, जिसके आधार पर कोई राजस्व अर्जित नहीं किया जाएगा।

2.4 BSNL को वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क @ 14,250/- प्रति टर्मिनल के भुगतान के बाद 8000 I SAT फोन टर्मिनलों के लिए आवृत्ति प्राधिकरण दिया गया है। BSNL ने पहले ही 8000 Inmarsat फोन टर्मिनलों के लिए एक वर्ष के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए लगभग 11.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और बाद के वर्षों में भी इसी शुल्क का सालाना भुगतान किया जाना है।

2.5 तालिका 1.1 में दिए गए ग्राहकों के विवरण से, यह देखा जा सकता है कि BSNL द्वारा आयात किए गए 8,000 सेटफोन टर्मिनलों में से 30 नवंबर, 2018 तक, केवल 2,450 टर्मिनलों का उपयोग वास्तव में ग्राहकों द्वारा किया जा रहा था।

2.6 BSNL इस शुल्क को वार्षिक आधार पर अग्रिम जमा करता है। हालाँकि, यह शुल्क ग्राहक को उसके नामांकन पर दिया जाता है। इसलिए, अंततः, वह सब्सक्राइबर ही है, जिस पर वार्षिक आधार पर सैटफोन टर्मिनल के उपयोग के लिए शुल्क लिया जा रहा है। BSNL ने यह भी प्रस्तुत किया है कि भारी स्पेक्ट्रम शुल्क के कारण, सेवा सस्ती नहीं है। इस प्रकार, जनता को सेवा से लाभ नहीं मिल रहा है।

2.7 BSNL 'AGR आधारित चार्जिंग' पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के लिए कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए दूरसंचार विभाग से अनुरोध करता रहा है, क्योंकि उसने 2000 IsatPhone2 हैंडसेट के आयात की अनुमति के लिए जून, 2017 में आवेदन किया था। BSNL के मुताबिक, चार्जिंग विधि को GSP सेवा के रूप में AGR आधार पर होना चाहिए, जो कि सैट फोन उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक VSAT सेवा के समान है।

2.8 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना WPC द्वारा 22 मार्च, 2012 के

चार्जिंग आदेशों के अनुसार की गई (जो कि सूत्र का आधार है और उनके द्वारा उपयोग किए गए टर्मिनलों और आवृत्ति बैंडविड्थ की संख्या के लिए आनुपातिक है)। जाहिर तौर पर, इस तरह के चार्जिंग तंत्र को सम्मिलित उपयोगकर्ताओं के मामले में उपयोग करने के लिए उचित हो सकता है, अर्थात जब कोई इकाई अपने स्वयं के उपयोग के लिए लाइसेंस / स्पेक्ट्रम लेती है और जनता के लिए दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए नहीं। सम्मिलित और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के बीच अंतर को समझने के लिए, आईए हम VSAT सेवा का उदाहरण लेते हैं। VSAT के पास लाइसेंस की दो श्रेणी हैं; एक वाणिज्यिक उपयोग के लिए और दूसरा सम्मिलित उपयोग के लिए। व्यावसायिक उपयोग के मामले में, VSAT सेवा प्रदाता लाइसेंस शुल्क (LF) @ 8% AGR और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) @ 3% से 4% AGR का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, कैप्टिव VSAT लाइसेंसधारी के मामले में, 22 मार्च 2012 के आदेश के अनुसार आवृत्तियों के असाइनमेंट के लिए रॉयल्टी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है (जैसा कि वर्तमान में BSNL की GSP सेवाओं के लिए लागू है)।

2.9 यहां यह भी उल्लेखनीय है कि BSNL की GSP सेवा और VSAT दोनों सेवाएं उपग्रह कनेक्टिविटी का उपयोग करती हैं। VSAT सेवा प्रदाता अंतरिक्ष विभाग (DoS) के माध्यम से समर्पित उपग्रह बैंडविड्थ लेता है और अलग से उपग्रह बैंडविड्थ शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। इसी तरह, BSNL इनमारसैट उपग्रह सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क (प्रति सक्रिय उपयोगकर्ता) और परिवर्तनीय शुल्क (उपयोग आधारित) के रूप में भुगतान करता है।

2.10 जहां तक GSP सेवा का संबंध है, इसकी तुलना स्थलीय मोबाइल सेवा से की जा सकती है, सिवाय इसके कि कनेक्टिविटी सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से हो। मोबाइल हैंडसेट के मामले में, सब्सक्राइबर हैंडसेट को सेवा प्रदाता या खुले बाजार से खरीदता है। वह लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाता का सिम प्राप्त करता है और KYC प्रक्रिया के बाद, ग्राहक द्वारा सेवाओं का लाभ उठाया जाता है। सेवा प्रदाता द्वारा या ग्राहक द्वारा देय प्रति टर्मिनल शुल्क देय नहीं है।

2.11 इस पृष्ठभूमि में, हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे 'sui-generis' श्रेणी के तहत भारत में स्थापित गेटवे का उपयोग करते हुए 'सैटेलाइट के प्रावधान और संचालन के लिए BSNL' द्वारा अपने लाइसेंस के तहत BSNL द्वारा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में फार्मूला आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क को AGR आधारित SUC के साथ बदला जाए या नहीं, और यदि ऐसा है तो स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में AGR का कितना प्रतिशत लगाया जाना चाहिए, इस पर अपनी टिप्पणी उपलब्ध कराएं।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां

2.12 कुछ हितधारकों ने कहा कि इस सेवा पर कोई स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। हितधारकों द्वारा उद्धृत कारण (i) यह सेवा आपातकालीन सेवाओं को पूरा करती है, (ii) इस सेवा का उपयोग उन स्थानों या समयों पर किया जाता है, जहां / जब कोई अन्य नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, (iii) उपग्रह फोन सेवा सुरक्षा बढ़ाती है और समुद्र या दूरदराज के क्षेत्रों में जीवन की सुरक्षा और (iv) मौजूदा वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क एक गंभीर बाधा है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी, जिन्हें इन सेवाओं के लिए अति आवश्यकता है।

2.13 अन्य हितधारकों का विचार था कि फार्मूला आधारित स्पेक्ट्रम चार्ज को AGR आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश हितधारकों ने सिफारिश की है कि AGR के 0.5% की दर से स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जाना चाहिए। हितधारकों में से एक ने बताया है कि नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिशत को संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें SUC को प्रशासनिक और विनियामक लागत के आधार पर तय किया जाना है और दूरसंचार विभाग की अपनी गणना के अनुसार, यह एक अंश, 1% से भी काफी नीचे है।

2.14 हितधारकों में से एक ने यह भी उल्लेख किया कि उपलब्धता और सामर्थ्य के मुद्दे पर प्रति ग्राहक टर्मिनल प्रति वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क की अनुपातहीन रूप से उच्च लागत के सामने वे विवश हैं। इस तरह की उच्च लागतें स्पष्ट रूप से आबादी के अधिकांश हिस्से के लिए बाजार से बाहर सेवा प्रदान करती हैं। इसके अलावा, सब्सक्राइबर टर्मिनल शुल्क का भुगतान सेवा प्रदान करने से पहले किया जाता है और इसलिए BSNL के लिए अनुचित वित्तीय बोझ का प्रतिनिधित्व करता है। AGR के प्रतिशत के आधार पर एक मॉडल के साथ स्पेक्ट्रम चार्ज के मौजूदा मॉडल का प्रतिस्थापन, सेवाओं के विस्तार का समर्थन करेगा। वास्तव में, अंतिम उपयोगकर्ताओं तक के लिए उचित शुल्क सस्ती शुल्क सेवाओं के पैमाने को बढ़ाएंगे, उपलब्ध उपग्रह क्षमता का बेहतर उपयोग करेंगे और भारतीय अधिकारियों और आबादी की सेवा करेंगे।

2.15 एक हितधारक ने यह भी कहा कि GSP सेवा असंबद्ध और दूरदराज के क्षेत्रों में इस्तेमाल की जा रही आपातकालीन सेवा को पूरा करती है, इसलिए GSP सेवा के लिए 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए कोई SUC नहीं होनी चाहिए और इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि AGR का लाइसेंस शुल्क @ 8% देय है, इसलिए किसी भी हैंडसेट पर आधारित लाइसेंस शुल्क नहीं होना चाहिए।

2.16 हितधारकों में से कुछ ने यह भी कहा है कि गेटवे के लिए SUC को भी अलग से नहीं लगाया जाना चाहिए, और यह केवल AGR का ही हिस्सा होना चाहिए।

2.17 हितधारकों में से एक ने यह भी कहा कि प्रति मिनट उपयोग शुल्क और हैंडसेट की लागत सहित सेवा के अन्य हिस्सों की भी समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर मछुआरों को इसका लाभ मिले।

विश्लेषण

2.18 प्राधिकरण ने सभी हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की और सर्वसम्मति से देखा कि मौजूदा अपफ्रंट फॉर्मूला आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क में कोई आर्थिक औचित्य नहीं है। जबकि कुछ हितधारकों का विचार है कि कोई स्पेक्ट्रम शुल्क नहीं होना चाहिए, अधिकांश हितधारकों का विचार है कि फार्मूला आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क को AGR आधारित SUC के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

2.19 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान पद्धति के अनुसार, GSPS सेवा के प्रावधान के लिए, BSNL को निम्नलिखित शुल्क (लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क) का भुगतान करना आवश्यक है:

- लाइसेंस शुल्क: AGR का 8%
- हैंडसेट आधारित शुल्क (प्रति हैंडसेट प्रति वर्ष) - हैंडसेट के आयात के लिए LOI की तारीख से प्रभावी
  - लाइसेंस शुल्क: 250/- रुपये वार्षिक
  स्पेक्ट्रम शुल्क: 14,000/- रुपये
- गेटवे के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क: 37,81,000/- रुपये (प्रति वर्ष)

2.20 BSNL द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, GSP सेवा से जनवरी -18 से नवंबर -18 तक अर्जित राजस्व 266 मिलियन रुपये है, जिसमें हैंडसेट आधारित शुल्क (स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क) का संग्रह 41 करोड़ रुपये और सैटेलाइट फोन हैंडसेट की बिक्री शामिल है। (गैर-आवर्ती राजस्व) 157 मिलियन रुपये। इस अवधि के दौरान सेवाओं के प्रावधान से राजस्व 68 मिलियन रुपये था।

2.21 ऊपर से, यह देखा जा सकता है कि वार्षिक हैंडसेट आधारित शुल्क 14,250/- रुपये है, इस सेवा के प्रत्येक ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है। GSP सेवा का सरकारी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है और चूंकि यह दूर-दराज के क्षेत्रों और जल निकायों में

दूरसंचार कनेक्टिविटी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है, इसलिए इस सेवा को प्रीमियम सेवा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के समान है।

2.22 इसके अलावा, यह उल्लेखनीय है कि यह सेवा तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खासकर मछुआरों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, जो अपनी आजीविका के लिए समुद्री जंतुओं पर निर्भर हैं। आपातकाल के मामले में, उनके पास मदद मांगने के लिए संपर्क करने के लिए कोई अन्य तंत्र नहीं है। यदि यह सेवा ऐसे लोगों के लिए उपलब्ध कराई जानी है, तो सामर्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे लोगों के लिए इस सेवा का विकल्प चुनने के लिए 14,250/- रुपये का वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क हो सकता है।

2.23 इस निश्चित लागत को हटाने से इस सेवा के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे ग्राहकों को प्रति यूनिट लागत कम करने में मदद मिलेगी। संक्षेप में, बढ़े हुए संस्करणों के परिणामस्वरूप वहन क्षमता में वृद्धि होगी - 'एक जीत की स्थिति'। नतीजतन, वाणिज्यिक उपयोगकर्ता जैसे मछुआरे, दूर-दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग, आदि इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। उपग्रह सेवा के माध्यम से बढ़ती हुई मात्रा उपग्रह सेवा को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने और असंबद्ध स्थानों को जोड़ने का एकमात्र तरीका है।

2.24 इसके अलावा, BSNL को WPC विंग से निपटने के लिए और MHA से सीधे NOC प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, ताकि मौजूदा और साथ ही नए उपयोगकर्ताओं / ग्राहकों की ओर से इनमारसैट फोन का उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में, सब्सक्राइबरों की ओर से हैंडसेट आयात / खरीदना आवश्यक है। हालाँकि, हैंडसेट के आयात की प्रक्रिया काफी बोझिल और समय लेने वाली है। इसलिए, तत्काल मांग को पूरा करने के लिए, BSNL को स्टॉक में हैंडसेट रखना होगा। BSNL को परीक्षण और रखरखाव उद्देश्यों के लिए कुछ हैंडसेट रखने की भी आवश्यकता है। हालांकि, मौजूदा अभ्यास के अनुसार, BSNL को हैंडसेट आधारित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है, भले ही उन्हें वास्तव में उपयोग करने के लिए नहीं रखा गया हो। यह एक तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रतीत नहीं होता है।

2.25 वर्तमान में, गेटवे के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क (फार्मूला आधारित) अलग से लगाया जाता है, जिसकी राशि लगभग 37.8 लाख रुपये है। प्राधिकरण का विचार है कि एक बार स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने के लिए कार्यप्रणाली को AGR आधारित चार्जिंग में बदल दिया जाता है, गेटवे के लिए अलग-अलग स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि इन परिवर्तनों का लाभ ग्राहकों को सस्ती टैरिफ की पेशकश के माध्यम से दिया जाएगा।

2.26 पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, **प्राधिकरण का सुझाव है कि BSNL द्वारा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में फार्मूला आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क को AGR आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क के साथ बदला जाना चाहिए, जो 'भारत में स्थापित किए गए गेटवे का उपयोग करके 'sui-generis' श्रेणी के तहत सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान और संचालन के लिए है। ये शुल्क हैंडसेट के साथ-साथ गेटवे के लिए पूरे स्पेक्ट्रम शुल्क को कवर करेंगे।**

2.27 AGR के प्रतिशत के संबंध में, जिस पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जाना चाहिए, अधिकांश हितधारकों ने 0.5% की सिफारिश की है।

2.28 प्राधिकरण SUC की एक सपाट दर की वकालत करता रहा है। प्राधिकरण की निम्नलिखित सिफारिशें ध्यान देने योग्य हो सकती हैं:

(a) *7 मार्च 2017 को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और वाणिज्यिक बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल सेवा प्रदाताओं के लिए 'स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और प्रकल्पित समायोजित सकल राजस्व' पर अपनी सिफारिश में, प्राधिकरण ने कहा था, अन्य बातों के साथ, देखा गया कि SUC की एक दर होनी चाहिए। VSAT सेवा और प्रशासनिक शुल्क को कवर करने के लिए यह केवल 1% होना चाहिए; और सिफारिश की है कि SUC डेटा दर के बावजूद AGR के 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए।*

(b) *20 जुलाई, 2018 को एक पारदर्शी तंत्र के रूप में नीलामी सहित सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (PMRTS) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन की विधि पर अपनी सिफारिश में, प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ, ने सिफारिश की कि PMRTS को आवंटित स्पेक्ट्रम के लिए SUC , AGR का @ 1% लगाया जाएगा।*

2.29 जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, GSP सेवा आपातकालीन सेवाओं के समान है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि स्पेक्ट्रम शुल्क केवल प्रशासनिक खर्चों को कवर करने के लिए लगाया जाना चाहिए, जो कि 1% से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.30 उपरोक्त के मद्देनजर, **प्राधिकरण की सिफारिश है कि स्पेक्ट्रम शुल्क को BSNL के AGR के 1% से 'sui-generis' श्रेणी के तहत लगाया जाए।**

B. सैटफोन हैंडसेट की बिक्री

2.31 BSNL द्वारा इनमारसैट गेटवे की स्थापना और वॉइस सेवा शुरू करने के बाद, दूरसंचार विभाग ने 12 जून 2017 को अपने पत्र के माध्यम से, BSNL द्वारा भारत में स्थापित गेटवे का उपयोग

करते हुए उपग्रह आधारित सेवाओं के प्रावधान के संबंध में निर्देश जारी किए और उसी पत्र के माध्यम से BSNL को WPC विंग से निपटने और मौजूदा उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ नए उपयोगकर्ताओं / ग्राहकों की ओर से ISAT फोन के उपयोग के लिए सीधे MHA से NOC प्राप्त करने के लिए एक एकल विंडो एजेंसी के रूप में घोषित किया गया। ।

2.32 लाइसेंस समझौते के अनुसार, लाइसेंस शुल्क AGR के 8% पर लिया जाता है। परिशिष्ट- II के अनुसार BSNL को दिए गए लाइसेंस के अनुबंध-ए के अनुसार, सकल राजस्व में ट्रेडिंग गतिविधि से आय शामिल है, जो कि अन्य बातों के साथ, हैंडसेट की बिक्री शामिल है।

2.33 BSNL को सरकार ने नोडल एजेंसी घोषित किया है, यह उपयोगकर्ताओं की ओर से हैंडसेट आयात करने की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए, BSNL के पास हैंडसेट आयात करने और फिर उन्हें ग्राहकों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, यह सवाल उठता है कि क्या AGR की गणना करते समय हैंडसेट की लागत में कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। हितधारकों से अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में अपनी टिप्पणी दें।

हितधारकों की टिप्पणियां

2.34 एक आम सहमति थी कि लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना करते समय हैंडसेट की लागत को AGR से कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए।

विश्लेषण

2.35 जैसा कि पहले से ही ऊपर चर्चा की गई है, BSNL को सरकार द्वारा नोडल एजेंसी घोषित किया गया है, इसलिए उपयोगकर्ताओं की ओर से हैंडसेट आयात करने की इसकी जिम्मेदारी बनती है। यदि यह व्यवस्था लागू नहीं होती, तो सब्सक्राइबर सीधे इनमारसैट (प्रकृति में स्वामित्व वाले हैंडसेट) से हैंडसेट खरीद लेते थे और MHA से सुरक्षा मंजूरी आदि के लिए आवेदन करते थे। इस मामले में, ग्राहक द्वारा इनमारसैट हैंडसेट खरीदने के लिए खर्च की गई राशि को दूरसंचार राजस्व के रूप में नहीं लिया जाएगा। इस व्यवस्था ने न केवल किसी भी तरह की जानकारी के लिए दूरसंचार विभाग / MHA के लिए संपर्क का एक बिंदु प्रदान किया, बल्कि ग्राहकों को हा रही असुविधाएं भी कम हुईं। हालांकि, BSNL के पास हैंडसेट आयात करने और ग्राहकों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाने के लिए हैंडसेट की लागत को AGR से बाहर रखा जाना चाहिए। इससे BSNL को सब्सक्राइबरों की लागत कम करने और सस्ती दरों की पेशकश करने में मदद मिलेगी।

2.36 उपरोक्त के मद्देनजर, **प्राधिकरण की सिफारिश है कि लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के लगान के लिए AFR का निर्धारण करते समय, हैंडसेट की लागत (जो अलग से पहचानी जा सकती है) को BSNL की सैटेलाइट आधारित सेवाओं के सकल राजस्व से 'sui-generis' श्रेणी में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए।**

C. विविध मुद्दे

a) आयात लाइसेंस

2.37 परामर्श की प्रक्रिया के दौरान, कुछ हितधारकों ने कहा कि BSNL द्वारा गेटवे के लिए हैंडसेट, सामान और पुर्जों के आयात के लिए आयात लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक हितधारक ने कहा कि कभी-कभी WPC संचार उपकरणों को आयात करने की अनुमति जारी करने के लिए लंबी अवधि लेता है; इसलिए समय सीमा तय की जा सकती है और इसका पालन किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

2.38 प्राधिकरण ने इस मामले में जांच अपने इज ऑफ डोइंग बिजनेस के सुझावों में की है, जो 30 नवंबर 2017 में जारी किया गया था और उसमें अन्य बातों के साथ ये सुझाव भी थे-
kkएक निर्धारित समयसीमा होनी चाहिए, 30 दिनों से अधिक नहीं, जिसके भीतर एक आयात लाइसेंस दिया जाना चाहिए। इस समयसीमा को पोर्टल पर और नागरिक अधिकार पत्र में भी घोषित किया जाना चाहिए।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदन पूरा हो गया है और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं, ऑनलाइन पोर्टल को आवेदन स्वीकार करना चाहिए और रसीद तभी उत्पन्न करनी चाहिए जब ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्र (ओं) को टीएसपी (TS P) द्वारा भर दिया गया हो और डब्ल्यूपीसी की प्रति-सूची के अनुसार सभी दस्तावेज टीएसपी द्वारा अपलोड की कर दिए गए हों।

2.39 **प्राधिकरण अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराता है कि निर्धारित समयसीमा होनी चाहिए, 30 दिनों से अधिक नहीं, जिसके भीतर एक आयात लाइसेंस दिया जाना चाहिए और इसे पोर्टल पर और साथ ही नागरिक अधिकार पत्र में भी घोषित किया जाना चाहिए।**

बी) अंतरराष्ट्रीय रोमिंग

2.40 परामर्श की प्रक्रिया के दौरान कई हितधारकों ने कहा कि GSP सेवाओं की इन रोमिंग और आउट रोमिंग को वैश्विक सेवा

होने की अनुमति दी जा सकती है। इसका मुख्य कारण भारत में एक प्रवेश द्वार होना है। भारत में प्रवेश द्वार के साथ, GSPS को मोबाइल रोमिंग GSM सेवाओं के बराबर माना जाना चाहिए। इन हितधारकों में से एक ने उद्धृत किया कि आज भारतीय कंपनियां और सेवाएं वैश्विक स्तर पर जा रही हैं और कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कई ऐसे देशों में काम कर रही हैं जो राजनीतिक और सैन्य रूप से अस्थिर हैं। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे देशों में काम करने वाले एक फील्ड इंजीनियर को अपने मोबाइल उपग्रह GSPS में रोमिंग सुविधा उपलब्ध हो। इसी तरह से इन रोमिंग को भी स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। भारत में प्रवेश द्वार के साथ, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग की अनुमति दी जानी चाहिए और हवाई अड्डे में बैनरों को हटाने के लिए भारतीय सीमा शुल्क को एक सलाह दी जानी चाहिए जो कहती है कि "सैटेलाइट फोन ले जाना गैरकानूनी है। ”

2.41 देश में प्रवेश द्वार होने के बावजूद आने वाले अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों द्वारा फिर से पंजीकरण करने की गृह मंत्रालय की नीति, इन महत्वपूर्ण सेवाओं का उपयोग करने के लिए उन्हें हतोत्साहित करती है। इस प्रक्रिया में BSNL और दूरसंचार विभाग (DoT)को राजस्व का नुकसान होता है इसके बावजूद की सभी LEA’s के पास आवश्यक वैध अवरोधन सुविधाएं उपलब्ध है।

विश्लेषण

2.42 DoT ने 23 मई 2017 को अपने पत्र के माध्यम से आवाज सेवाओं के लिए अनुमति देते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ग्राहकों को इन रोमिंग और आउट-रोमिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि यह समझा जाता है कि रोमिंग सेवाओं को अनुमति नहीं देने के लिए DoT के पास कुछ कारण होंगे, चूंकि BSNL द्वारा GSP सेवा शुरू करने के बाद एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और सिस्टम स्थिर और विश्वसनीय हो गए होंगे। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि DoT इसकी समीक्षा कर सकता है।

2.43 उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण का सुझाव है कि **DoT** समीक्षा कर सकता है कि जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज (**GSP**) सेवा ग्राहकों के लिए रोमिंग सेवा को उसी तरह से अनुमति दी जा सकती है जिस तरह से मोबाइल रोमिंग की अनुमति है।

स) वर्जित क्षेत्रों में सेवा प्रतिबंध

2.44 परामर्श प्रक्रिया के दौरान, अधिकांश हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि वर्जित क्षेत्रों (पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व, गुजरात के तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों) पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए (जब गेटवे भारत में नहीं था) चूंकि गेटवे भारत में लैंग्वेज इंटरफेस मॉड्यूल (LIM) सुविधा के साथ उपलब्ध है. एक ऐसी सेवा होने के नाते जो आपात स्थितियों के लिए है, यह आपदा और आपात स्थितियों के लिए सहायक है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होना चाहिए जो इस सेवा का उपयोग करने से प्रतिबंधित हो। यह भारतीय प्राधिकारों और आबादी को आगे लाभ पहुंचाएगा।

2.45 हितधारकों में से एक ने यह भी उल्लेख किया है कि तमिलनाडु और केरल में हाल ही में चक्रवात / बाढ़ के बाद, मोबाइल उपग्रह उपकरण ले जाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इन राज्यों में मत्स्य कानूनों में बदलाव किया जा रहा है ताकि उपग्रह उपकरण को ले जाना अनिवार्य किया जा सके। तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में

मोबाइल उपग्रह GSP सेवा का उपयोग करने में प्रतिबंध को दक्षिण भारतीय मछुआरों के बड़े हित में हटाया जाना है, जिन्हें साल-दर-साल चक्रवात या कभी-कभार सुनामी के खतरों का सामना करना पड़ता है।

2.46 हितधारकों में से एक ने यह भी कहा है कि वे भौगोलिक क्षेत्र जिन्हें इन सेवाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उन्हें दुर्भाग्यवश प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। अब भारत में LIM सुविधाओं के साथ प्रवेश द्वार उपलब्ध है, सभी क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए, ताकि सभी जगह मौजूद उपभोक्ता इस तकनीक का लाभ उठाने में सक्षम हों।

विश्लेषण

2.47 यह उल्लेखनीय है कि जिन भू-क्षेत्रों के प्रमुख अनुपात को प्रतिबंधित इलाकों के रूप में नामित किया गया है, उनको अन्य क्षेत्रीय दूरसंचार सेवाओं से आच्छादित किया जाएगा और अगर कुछ इलाके छूटे रह गए है तो, कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी ही एकमात्र तरीका है; इस प्रकार, ऐसे क्षेत्रों को शायद इस सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा, अब जब प्रवेश द्वार भारत में स्थापित हो गया है, तो भारत के भीतर सभी यातायात अनिवार्य रूप से गाजियाबाद में स्थित भारतीय प्रवेश द्वार से होकर गुजरे हैं। किसी भी अन्य स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क की तरह, प्रवेश द्वार की स्थापना कानूनन अवरोधन और निगरानी को सक्षम बनाती है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि कुछ भूमि / तटीय क्षेत्रों में सेवाओं को वर्जित करने का कोई कारण नहीं है।

2.48 यह बताना भी उचित होगा कि सरकार ने 14 दिसंबर, 2018 को उड़ान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम, अन्य के बीच, भारतीय क्षेत्रीय जल के भीतर जहाजों पर वायरलेस आवाज और डेटा सेवाओं के प्रावधान को अनुमति देते हैं। इन नियमों के अनुसार, यदि उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो टेलीग्राफ संदेश को भारत के भीतर स्थित उपग्रह गेटवे अर्थ स्टेशन के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए और सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम टेलीग्राफ संदेशों की वैध अवरोधन और निगरानी को सक्षम करें।

2.49 उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण की सिफारिश है कि बीएसएनएल द्वारा गेटवे की स्थापना के परिणामस्वरूप, **DoT** कुछ (वर्जित) क्षेत्रों में **GSP** सेवा को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है।

अध्याय- III: सिफारिशों की सूची

1. प्राधिकरण की सिफारिश है कि सुई जेनेरिस श्रेणी के तहत भारत में स्थापित गेटवे का उपयोग कर सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान के तहत बीएसएनएल द्वारा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में फॉर्मूला आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क को एजीआर आधारित स्पेक्ट्रम शुल्क के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ये शुल्क हैंडसेट के साथ-साथ गेटवे के लिए पूरे स्पेक्ट्रम शुल्क को कवर करेंगे।

(पारा 2.26)

2. प्राधिकरण की सिफारिश है कि स्पेक्ट्रम शुल्क BSNL के उपग्रह आधारित सेवाओं के AGR के 1% से kसु-जेनेरिसा श्रेणी के तहत लगाया जाए।

(पारा 2.30)

3. प्राधिकरण की सिफारिश है कि लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के लगान के लिए AGR का निर्धारण करते समय, हैंडसेट की लागत (जो अलग से पहचानी जा सके) को kसु- जेनेरिसा श्रेणी के तहत BSNL की सैटेलाइट आधारित सेवाओं के सकल राजस्व से कटौती के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए।

(पारा 2.36)

4. प्राधिकरण अपनी पूर्व की सिफारिशों को दोहराता है कि निर्धारित समय-रेखा होनी चाहिए, 30 दिनों से अधिक नहीं, जिसके भीतर एक आयात लाइसेंस दिया जाना चाहिए और इसे पोर्टल पर और साथ ही नागरिक अधिकार पत्र में भी घोषित किया जाना चाहिए।

(पारा 2.39)

5. प्राधिकरण की सिफारिश है कि DoT समीक्षा कर सकता है कि जीएसपी सेवा ग्राहकों के लिए रोमिंग सेवा की अनुमति उसी तरह से दी जा सकती है या नहीं जिस तरह से मोबाइल रोमिंग की अनुमति है।

(पारा 2.43)

6. प्राधिकरण की सिफारिश है कि BSNL द्वारा गेटवे की स्थापना के परिणामस्वरूप, DoT कुछ (वर्जित) क्षेत्रों में GSP सेवा को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है।

[पारा 2.49]

अनुलग्नक 1.1

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

दिनांक: 13.08.2018

No J-14044/03/2015-SAT

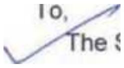
To,
The

वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग
संचार भवन, नई-110001

.

सेवा में
सचिव,
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण,
महानगर, दूरसंचार भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड)
नई दिल्ली-110002

विषय : : M/s BSNL- Reg. **द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए INMARSAT प्रवेश द्वार की स्थापना के मद्देनजर INMARSAT टर्मिनलों के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने की पद्धति पर ट्राई की सिफारिशें।**

महोदय,

मुझे ये बताने के लिए निर्देशित किया गया है कि दिनांक 12.05.2014 की TRAI **की सिफारिशों के आधार पर** INMARSAT / उपग्रह फोन सेवा **के तहत** M/s BSNL को सर्विस लाइसेंस नंबर 800-87/2014-CS दिनांक 25.08.2014 **(अनुलग्नक- I के रूप में संलग्न प्रतिलिपि) भारत में स्थापित गेटवे उपयोग कर उपग्रह के प्रावधान और संचालन के लिए DoT द्वारा सु जेनेरिस श्रेणी में दिया गया है।**

2 दिनांक 12.05.2014 की ट्राई की सिफारिशों में सु-जेनेरिस श्रेणी की लाइसेंस के तहत सेवाओं के प्रावधान के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के मुद्दे पर चुप्पी थी। इसके अलावा, सेवा लाइसेंस में उल्लेख किया गया है कि लागू चार्जिंग ऑर्डर के अनुसार स्पेक्ट्रम से संबंधित शुल्क देय हैं। तदनुसार, डब्ल्यूपीसी विंग ने गेटवे और उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को बल में चार्जिंग ऑर्डर के अनुसार जारी रखा (जो कि फार्मूला के आधार पर है और उनके द्वारा उपयोग किए गए टर्मिनलों और आवृत्ति बैंडविड्थ की संख्या के लिए आनुपातिक है)।

3. M/s BSNL **द्वारा** Inmarsat **गेटवे की स्थापना और वॉयस सेवाओं की शुरुआत के बाद,** WPC **विंग के साथ सौदा करने के लिए और साथ ही मौजूदा आईएएस फोन के उपयोग के लिए गृह मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करने के लिए** M/s BSNL **को नए उपयोगकर्ताओं / ग्राहकों की ओर से एकल खिड़की एजेंसी घोषित किया गया है।**

4. अब, M/s BSNL**, वाणिज्यिक** VSAT **सेवा प्रदाता (अनुलग्नक- IV के रूप में संलग्न प्रतिलिपि) के अनुरूप इस सेवा के प्रावधान के लिए** AGR **पद्धति के आधार पर फार्मूला से स्पेक्ट्रम चार्जिंग की वर्तमान पद्धति को बदलने का अनुरोध कर रहा है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वाणिज्यिक** VSAT **सेवा प्रदाताओं के लिए स्पेक्ट्रम चार्जिंग विधि** AGR **के आधार पर है।**

5.उपरोक्त के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि ट्राई उपरोक्त विषयों पर ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) के तहत (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है) पर अपनी सिफारिशें प्रदान कर सकता है।

आपका आभारी,

(सुखपाल सिंह) संयुक्त वायरलेस सलाहक

अनुलग्नक-2

INMARSAT सेवाओं के संचालन और INMARSAT की स्थापना के बारे में संक्षिप्त जानकारी भारत में M/s BSNL द्वारा गेटवे

(I) INMARSAT आधारित सेवाओं के प्रावधानों की पृष्ठभूमि

(i) अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुसार, आज तक, केवल इनमारसैट संगठन को समुद्री अनुप्रयोगों के लिए ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम (GMDSS) सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

(ii) M/s TCL (तत्कालीन विदेश संचार निगम लिमिटेड) ने इनमारसैट-बी, सी, एम, मिनी-एम एंड एम -4 टर्मिनल जैसी इनमारसैट सेवाओं (जीएमडीएसएस सहित) को पुणे में स्थित उनके लैंड अर्थ स्टेशन (गेटवे) के माध्यम से आईएलडी सेवा लाइसेंस के तहत प्रदान करना शुरू किया। WPC विंग लागू स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के बाद DoT के CS सेल से अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर इन इनमारसैट टर्मिनलों के लिए आवृत्ति असाइनमेंट और वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (WOL) जारी कर रहा है।

(II) GMPCS (ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाइ सैटेलाइट) सर्विस लाइसेंस के लिए नियम

(i) देश में सैटेलाइट टेलीफोन सेवा के प्रावधान के लिए, GMPCS सेवा लाइसेंस TRAI की सिफारिशों के आधार पर 2001 में पेश किया गया था। GMPCS लाइसेंस शर्तों के अनुसार, भारत में GMPCS गेटवे की स्थापना अनिवार्य है।

(ii) GMPCS लाइसेंस देने के लिए DoT को विभिन्न उपग्रह ऑपरेटरों, Inmarsat, Irridium, Thuraya, Globalstar आदि से कई प्रस्ताव मिले। हालांकि, चूंकि कोई भी ऑपरेटर भारत में GMPCS गेटवे स्थापित नहीं कर सकता था, जो GMPCS लाइसेंस में मुख्य शर्त में से एक था, कंपनियों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।

(iii) यह भी निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय पैरा मिलिट्री फोर्सेज / राज्य पुलिस बलों / आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की सैटेलाइट फोन सेवा के उपयोग की तत्काल आवश्यकता को इन एजेंसियों द्वारा इन टर्मिनलों (ISAT फोन। BGAN, फ्लीट ब्रॉड बैंड आदि) की सीधी खरीद से पूरा किया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था के कुछ फायदे हैं और साथ ही सीमाएं और कमियां भी हैं।

(iv) WPC विंग रुपए 14250 / प्रति टर्मिनल प्रति वर्ष के स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान के बाद गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर इन सैटेलाइट फोन / टर्मिनलों के लिए आवृत्ति असाइनमेंट और WOLs जारी कर रहा है। इन सेवाओं के लिए भारत में कोई गेटवे नहीं था।

(III) M/s BSNL द्वारा गेटवे की स्थापना:

(vii) 23.12.2010 को, क्योंकि देश में अब तक GMPCS सेवाओं के लिए कोई लाइसेंसधारी नहीं था, मैसर्स BSNL को GMPCS गेटवे स्थापित करने की संभावना की जांच करने के लिए Inmarsat या किसी अन्य उपग्रह ऑपरेटर के साथ इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा गया था।

(viii) M/s BSNL ने Inmarsat के साथ मिलकर भारत में गेटवे की स्थापना के लिए एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत की और DoT से बजटीय सहायता के लिए 8 मिलियन यूएस डॉलर (44 करोड़ रुपये) की राशि देने का अनुरोध किया है।

(ix) BSNL के प्रस्ताव पर DoT ने विचार किया और यह निर्णय लिया गया कि BSNL द्वारा भारत में GMPCS गेटवे स्थापित करने के लिए बजटीय सहायता USO फंड से प्रदान की जाएगी।

(x) BSNL ने Inmarsat द्वारा प्रदान की जा रही ग्लोबल सैटेलाइट फोन सेवा (GSPS) की पेशकश करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अपेक्षित शुल्क के बिना GMPCS लाइसेंस के लिए आवेदन किया। हालांकि, बीएसएनएल ने बाद में जुलाई, 2013 में अपेक्षित प्रोसेसिंग फीस या प्रवेश शुल्क के साथ GMPCS लाइसेंस प्राप्त करने में अपनी अनिच्छा दिखाई।

(xi) BSNL ने आगे बताया कि Inmarsat GMPCS श्रेणी के लाइसेंस के तहत इन सेवाओं का विस्तार नहीं कर पाएगा। यह सूचित किया गया था कि Inmarsat सेवाओं को अन्य देशों में GMPCS सेवाओं के रूप में संचालित नहीं किया जा रहा है और Inmarsat सेवाओं को आमतौर पर राष्ट्रीय नियामकों द्वारा अपनी अनूठी भूमिका के लिए श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और ज्यादातर Inmarsat सेवाओं को 'सु जेनेरिस' श्रेणी में विनियमित किया जाता है, किसी सामान्य Inmarsat सेवाओं की तरह।

(xii) 19 अगस्त, 2013 को एकीकृत लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा के बाद, वर्ष 2001 के पुराने GPMCS दिशा-निर्देशों को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद GMPCS प्राधिकरण को एकीकृत लाइसेंस से प्राप्त किया जा सकता है।

(ए) दिनांक12.05.2014 की TRAI की सिफारिशें:

(xiv) 13.12.2013 को, TRAI की सिफारिशें GMPCS प्राधिकरण (अध्याय XII) के साथ एकीकृत लाइसेंस के तहत इनमारसैट सेवाओं की उपयुक्तता और व्यवहार्यता पर या किसी अन्य प्राधिकरण (नया अध्याय) के नामकरण के तहत मांगी गई थीं।

(xv) TRAI ने 12.05.2014 को अपनी सिफारिशें प्रदान कीं। इन सिफारिशों को दूरसंचार आयोग ने स्वीकार कर लिया।

(xvi) AGR का लाइसेंस शुल्क @ 8% इस लाइसेंस के तहत प्रदान की गई सेवाओं के लिए निर्धारित किया गया था और लाइसेंस की अन्य शर्तें यूनिफाइड लाइसेंस के तहत GMPCS प्राधिकरण के समान थीं।

(xvii) TRAI ने इस सेवा के लिए स्पेक्ट्रम चार्जिंग (एसयूसी) के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ब) सु जेनेरिस श्रेणी के तहत M/s BSNL को सैटेलाइट आधारित सेवा के प्रावधान का लाइसेंस

(xviii) 25.08.2014 को गैर-विशिष्ट आधार पर सु जेनेरिस श्रेणी के तहत गेटवे इनस्टॉल का उपयोग करके सैटेलाइट आधारित सेवाओं के प्रावधान के लिए M/s BSNL को लाइसेंस जारी किया गया था।

स्पेक्ट्रम शुल्क के बारे में लाइसेंस का प्रासंगिक खंड:

> ***"खंड 18.3: यदि लाइसेंसधारी स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है, तो लाइसेंसधारक स्पेक्ट्रम से संबंधित शुल्क का भुगतान करेगा, जिसमें स्पेक्ट्रम के आवंटन या स्पेक्ट्रम के नीलामी की शर्तों के संबंधित एनआईए दस्तावेज़ में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार या लाइसेंसकर्ता/डब्ल्यूपीसी विंग के स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों/लोलो/ दिशा-निर्देश के अनुसार आवंटन और उपयोग के लिए भुगतान शामिल है। स्पेक्ट्रम से संबंधित शुल्क अलग से देय होगा, यदि कोई हो। "***

(xix) 26.04.2016 को, M/s BSNL को वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क रुपये 37,81,000 / के भुगतान के बाद इनमारसैट सेवाओं के लिए इनमारसैट गेटवे की स्थापना और संचालन के लिए आवृत्ति असाइनमेंट जारी किया गया था। डब्ल्यूपीसी विंग ओएम दिनांक 22.03.2012 के अनुसार फार्मूला के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जा रहा है। इसके बाद, 27.03.2017 को, BSNL को उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए गाजियाबाद में INMRSAT गेटवे के लिए WOL No. GMPCS-01/01 जारी किया गया है।

(xx) 23.05.2017 को, DoT ने लाइसेंस अनुबंध के क्लॉज 7 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से वॉयस सेवा शुरू करने के लिए M/s BSNL को अनुमति दे दी है।

(xxi) M/s BSNL द्वारा Inmarsat गेटवे की स्थापना और वॉयस सेवाओं की शुरुआत के बाद, M/s BSNL को WPC विंग से निपटने और मौजूदा व नये यजूर और उपभोक्तओं की ओर से ईएसटी फोन के आयात के लिए गृह मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करने के लिए एक एकल खिड़की एजेंसी घोषित किया गया है। तदनुसार, M/s BSNL को स्पेक्ट्रम शुल्क @ रुपये 14250 / - प्रति आईएसएटी फोन के भुगतान के बाद 8000 आईएसएटी फोन टर्मिनलों के लिए आवृत्ति प्राधिकरण दिया गया है।

(xxii) आज के तारीख में M/s BSNL अपने Inmarsat गेटवे के माध्यम से केवल वॉयस सेवा (आईसैट फोन) प्रदान कर रहा है।

(IV) मुद्दा:

(i) दिनांक12.05.2014 की ट्राई की सिफारिशें सु-जेनेरिस श्रेणी की लाइसेंस के तहत सेवाओं के प्रावधान के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के मुद्दे पर चुप थीं। इसके अलावा, सेवा लाइसेंस में उल्लेख किया गया है कि लागू चार्जिंग ऑर्डर के अनुसार स्पेक्ट्रम से संबंधित शुल्क देय हैं। तदनुसार, WPC विंग ने गेटवे और उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्क को बल में चार्जिंग ऑर्डर के अनुसार जारी रखा (जो

कि फार्मूला के आधार पर है और उनके द्वारा उपयोग किए गए टर्मिनलों और आवृत्ति बैंडविड्थ की संख्या के लिए आनुपातिक है)। दिनांक 22.03.2012 के आदेश क्रमांक पी -11014 / 34/2009-पीपी (III) और (IV) के अनुसार गेटवे और यूजर टर्मिनल का लागू शुल्क रुपये 37,81,000/- और रुपये 14250/- क्रमश: प्रति वर्ष है। यह राशि M/s BSNL. को सालाना अग्रिम में भुगतान करना पड़ेगा।

(ii) नवंबर/, M/s BSNL वाणिज्यिक वीएसएटी सेवा प्रदाता के साथ इस सेवा के प्रावधान के लिए AGR पद्धति के आधार पर फार्मूला से स्पेक्ट्रम चार्जिंग की वर्तमान पद्धति को बदलने का अनुरोध कर रहा है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि वाणिज्यिक VSAT सेवा प्रदाताओं के लिए स्पेक्ट्रम चार्जिंग विधि AGR के आधार पर है।

भारत सरकार
संचार और आईटी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (WTC) विंग

संचार भवन,

20, अशोक रोड,
नई दिल्ली -110 001

संख्या: P-11014/34/2009-PP (III)

दिनांक: 22 मार्च, 2012

निर्देश

विषय : कैप्टिव यूजर (फॉर्मूला के आधार पर चार्ज किए जा रहे) सहित सभी सरकारी उपयोगकर्ता के लिए सैटेलाइट आधारित सिस्टम को शामिल करते हुए आवृत्तियों के असाइनमेंट के लिए रॉयल्टी शुल्क लगाना।

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 के 13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में और मंत्रालय के आदेश के अधिरचना क्रम में संख्या J-19011/1/98-SAT, दिनांक 14/09/1998, और संख्या Rl 1014/26/2002-LR, दिनांक 06/05/2003, केंद्र सरकार ने आवृत्तियों के असाइनमेंट के लिए निम्नलिखित रॉयल्टी शुल्क का फैसला किया है 'कैप्टिव यूजर्स' (फॉर्मूला के आधार पर चार्ज किए जा रहे) और सभी सरकारी उपयोगकर्ताओं के लिए सैटेलाइट आधारित सिस्टम को शामिल करते हुए। (i. प्रसारण: रेडियो, टेलीविजन, DSNG इत्यादि; और ii) अन्य नेटवर्क: (ILDI अन्य नेटवर्क :, ILD, INMARSAT, NLD, Teleport, VSAT आदि):-

2. मानक वार्षिक रॉयल्टी कारक रुपये 35000 प्रति आवृत्ति होगी, इसे किसी भी प्रकार के उपग्रह-आधारित रेडियो-संचार नेटवर्क की प्रत्येक आवृत्ति के कुल लाइसेंस प्राप्त बैंडविड्थ पर लागू किया जाएगा (ILD, NLD, Teleport, DSNG, DTI I, VSAT, INMARSAT और सैटेलाइट रेडियो के सहित), नीचे दी गई तालिका डी में दिए गए प्रासंगिक बैंडविड्थ फैक्टर (Bs) के साथ, फ्रीक्वेंसी, आर की वार्षिक रॉयल्टी की राशि तक पहुंचने के लिए, निम्न फॉर्मूला के अनुसार अपलिंक या डाउनलिंक के लिए देय है:

रॉयल्टी, आर (रुपयों में) = 35000* Bs टैबिक डी : बी एक 11 डीजेडविड थ फैक्टर (सैटेलाइट संवाद के लिए Hj)

एक फ्रीक्वेंसी को दी गई बैंडविदथ (W KIlz)	बैंडविद्थ फक्टर, बी9, एक अपलिंक के लिए		बैंडविद्थ फक्टर, बी, एक डाउनलिंक के लिए	
	प्रसारण	अन्य	प्रसारण	अन्य
100 KHz तक और उसके समेत	0.25	0.20	NIL	0.20
100 KHz से 250 KHz तक और उसके समेत	0.60	0.50	NIL	0.50
250 KHz से अधिक और 500 kHz तक	1.25®	1.00 @	NIL	1.00®
प्रत्येक 500 kHz या उसके भाग के लिए	1.25®	1.00®	NIL	1.00®

[@ प्रत्येक 500 kHz या उसके भाग के लिए

2. उपरोक्त के अलावा, रॉयल्टी शुल्क की प्रयोज्यता पर व्याख्यात्मक "नोट्स" इस प्रकार हैं:

i. एक सिद्धांत के रूप में, रेडियो स्पेक्ट्रम के लिए शुल्क अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि संसाधन की प्रकृति समान रहती है। हालांकि चार्जिंग केवल भारतीय क्षेत्र से या भारतीय क्षेत्र में प्रेषित आवृत्तियों के संबंध में होगा।

ii. DSNG, SNG आदि, अपलिंक और डाउनलिंक्स दोनों पर इस्तेमाल होने वाली रेडियो फ़्रीक्वेंसी के लिए रॉयल्टी शुल्क लगाया जाएगा, क्योंकि ये समर्पित लिंक हैं जिन्हें प्रसारण सेवा के साथ समान नहीं किया जा सकता है।

iii. DSNG के लिए, यदि एक ही आवृत्ति वाहक का उपयोग उपयोगकर्ता (RF को असाइन करने वाला) द्वारा उससे संबंधित अन्य OB वैन से किया जाता है तो मूल रॉयल्टी पर अतिरिक्त @ 25% रॉयल्टीउससे वसूल की जाती है, हालाँकि यदि अतिरिक्त OB वैन एक ही परिसर के भीतर स्थित है तो मूल रॉयल्टी पर अतिरिक्त @ 25% रॉयल्टी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

iv. अस्थायी अनलिंकिंग के लिए, एक महीने के लिए न्यूनतम रॉयल्टी के बराबर शुल्क लिया जाएगा।

v. . "लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क, अधिभार / देर से शुल्क और चार्ज करने के लिए।"रॉयल्टी / लाइसेंस फीस के लिए तरीके, दिनांक 22 मार्च, 2012 को लागू निर्देश संख्या पी -11014 / 34/2009-पीपी (IV) लागू होगा।

vi. यह आदेश 1 अप्रैल 2012 से लागू होगा।

i. DSNG के लिए, यदि एक ही आवृत्ति वाहक का उपयोग उपयोगकर्ता (RF को असाइन करने वाला) द्वारा उससे संबंधित अन्य OB वैन से किया जाता है तो मूल रॉयल्टी पर अतिरिक्त @ 25% रॉयल्टीउससे वसूल की जाती है, हालाँकि यदि अतिरिक्त OB वैन एक ही परिसर के भीतर स्थित है तो मूल रॉयल्टी पर अतिरिक्त @ 25% रॉयल्टी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ii. अस्थायी अनलिंकिंग के लिए, एक महीने के लिए न्यूनतम रॉयल्टी के बराबर शुल्क लिया जाएगा।

2. "लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क, अधिभार / देर से शुल्क और चार्ज करने के लिए।"
रॉयल्टी / लाइसेंस फीस के लिए तरीके, दिनांक 22 मार्च, 2012 को लागू निर्देश संख्या पी -11014 / 34/2009-पीपी (IV) लागू होगा।

3.यह वायरलेस वित्त प्रभाग की सहमति से जारी होता है, दिनांक 19/5/12 पत्रांक संख्या 482/Sr.DDG (WPF)

4. यह आदेश 1 अप्रैल 2012 से लागू होगा।

\
KJ.QI&X'*
(वीरेश गोयल) भारत सरकार के उप वायरलेस सलाहकार

इनको प्रतिलिपि

1. सभी संबंधित
2. वायरलेस वित्त प्रभाग
3. वायरलेस निगरानी संगठन
4. निदेशक, आईटी DoT अपलोड करने के लिए DoT वेबसाइट पर
5. DWA (ASMS) अपलोड करने के लिए WPC विंग की वेबसाइट पर

भारत सरकार
संचार और आईटी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग

संचार भवन, 20,
अशोकरोड, नई दिल्ली - 110 001

संख्या: P-ll014/34/2009-PP (IV) दिनांक: 22 मार्च, 2012

निर्देश

विषय : लाइसेंस शुल्क और अन्य शुल्क, सरचार्ज/ देरी शुल्क और चार्ज करने के तरीके रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क सभी सरकारी उपयोगकर्ताओं सहित कैप्टिव यूजर के लिए (वैसे उपयोगकर्ता जिनसे फॉमूर्ला के आधार पर शुल्क लिया जाता है)

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 के 13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में और इस मंत्रालय के आदेश संख्या R-11014/28/2004-LR में दिनांक 23.03.2005, और सं। R-11014 / 4/87-LR दिनांक 20.07.1995 केंद्र सरकार ने लाइसेंस शुल्क, और अन्य शुल्क की निम्नलिखित दरों का फैसला किया है। सभी सरकारी उपयोगकर्ताओं सहित 'कैप्टिव उपयोगकर्ताओं' (फार्मूला के आधार पर चार्ज किए जा रहे उपयोगकर्ता) के लिए आवृत्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए रॉयल्टी / लाइसेंस शुल्क के लिए अधिभार / देर से शुल्क और चार्जिंग पद्धति।

2. लाइसेंस शुल्क

क्रम संख्या	लाइसेंस के प्रकार	वार्षिक लाइसेंस शुल्क, रुपये में	टिप्पणियां
	स्थाई/ लैंड स्टेशन	500	प्रति स्टेशन
ii.	लैंड मोबाइल स्टेशन	250	प्रति स्टेशन
iii.	कैप्टिव पेजिंग (हब)	2000	प्रति हब
iv.	मेरीटाइम मोबाइल स्टेशन (मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर)	500	प्रति ट्रॉलर
v.	मेरीटाइम मोबाइल स्टेशन (जहाज)	5000	प्रति जहाज
vi.	एयरो मोबाइल स्टेशन	5000	प्रति हवाई विमान
vii.	यूएसआर (शॉर्ट रेंज)	250	प्रति स्टेशन
viii.	माइक्रोवब लिंक्स के स्थाई स्टेशन/ रडार स्टेशन/एनएलडी स्टेशन/बीटीएस	1000	प्रति स्टेशन
Lx.	सीएमआरटीएस स्थाई स्टेशन	500	प्रति स्थाई स्टेशन
X.	सीएमआरटीएस मोबाइल स्टेशन	250	प्रति मोबाइल स्टेशन; वाहन में लगने वाला या हाथ में पकड़ने वाला
xi.	नेटवर्क में स्थिर स्टेशन, जैसे, DTH / Teleport / DSNG / NLD / ILD / डीसीपी / आईपी-आई	1000	प्रति स्थाई स्टेशन
xii.	कैपटिव वी-सैट	500	प्रति हब या टर्मिनल
xiii.	INMARSAT	250	मोबाइल टर्मिनल के लिए
xiv.	INMARSAT	500	स्थाई टर्मिनल के लिए

नोट : स्टैंडबाय सेट के लिए लाइसेंस शुल्क भी उसी दरों पर लिया जाएगा।

3. डुप्लिकेट प्रतियां और लाइसेंस संशोधन जारी करने के लिए शुल्क

क्रम संख्या	प्रकार	शुल्क रुपये में
i.	लाइसेंस लाइसेंस की ड्प्लीकेट कॉपी (बिना अनुसूची)	500
ii.	लाइसेंस की अनुसूची (एस) की डुप्लीकेट कॉपी	500
iii.	नवीनीकरण प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट कॉपी	250
iv.	लाइसेंस संशोधन	1000

4.रॉयल्टी / लाइसेंस फीस के लिए चार्जिंग तरीके:

i. किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को फैसले के पत्र, अग्रीमेंट-इन-प्रिंसिपल या सामान्य प्रकृति की किसी अन्य तरीके से असाइन, आरक्षित या ब्लॉक तब तक नहीं करवाया जा सकता जब तक आवेदक अग्रिम में ही पूरी अवधि के प्राधिकरण या कम से कम एक साल के लिए, जो भी कम हो, के लिए सभी लागू लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी शुल्क का भुगतान नहीं कर देता।

ii. रेडियो फ़्रीक्वेंसी (RF) के असाइनमेंट के लिए अनुरोध करने वाले आवेदन के सफल प्रसंस्करण पर, आवेदक को उसके द्वारा जमा किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। अनुरोधित असाइनमेंट की पूरी अवधि के लिए इनकी गणना की जाएगी। जहां अवधि एक वर्ष से अधिक है, वायरलेस उपयोगकर्ता / आवेदक को हर साल अग्रिम में लाइसेंस शुल्क और वार्षिक किश्तों में रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है।

iii. इसके तुरंत बाद, लेकिन किसी भी हालत में उक्त पत्र के जारी होने के 30 दिन बाद आवेदक लाइसेंस/डीएल/ एआईटी के जारी होने के शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता है, यदि यह अन्यथा स्वीकार्य हो। यदि, दूसरी ओर, भुगतान 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदन को रद्द माना जाएगा और अन्य लोगों को सौंपे जाने के लिए आवृत्तियों को मुक्त किया जाएगा। यदि वही आवेदक बाद में दोबारा आवेदन देना चाहता है, तो उसे एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

iv. विभिन्न अवधियों में बचे हुए भुगतान के निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जा सकता है

लाइसेंस की अवधि	देय लाइसेंस शुल्क	DL / A1P / WOL की तारीख से देय रॉयल्टी मामले के अनुसार	भुगतान का तरीका
एक माह और उससे कम	विशिष्ट फ्लैट दर पर	वार्षिक रॉयल्टी 12 से विभाजित	पूर्ण लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी डीएल / एआईपी / लाइसेंस जारी करने के समय अग्रिम भुगतान किया जाना चाहिए।
एक माह से ज्यादा लेकिन एक साल से कम	विशिष्ट फ्लैट दर पर.	प्रो-राटा आधार पर. हालांकि, एक महीने का हिस्सा एक महीने के रूप में लिया जाएगा।	— समान—
एक साल से ज्यादा	विशिष्ट फ्लैट दर पर.	प्रो-राटा आधार पर। हालांकि, एक महीने का हिस्सा एक महीने के रूप में लिया जाएगा।	DL./ A1P/ लाइसेंस के जारी होने पर लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी का भुगतान पूरी अवधि के लिए अग्रिम में करें या सालाना शुल्क अग्रिम में इंस्टॉलमेंट में जमा करें

v. यदि लाइसेंसधारक वार्षिक किस्तों में से किसी एक पर चूक करता है, तो शेष सभी किश्तें तुरंत देय हो जाएंगी।.

‘VA*

vi. उक्त WOL/AIP/DL की समाप्ति से पहले तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर iris/ उसके मौजूदा आवृत्ति प्राधिकरण या वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (WOL) के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए एक लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

vii. लाइसेंस / एआईपी / डीएल का आत्मसमर्पण: स्पेक्ट्रम शुल्क एक महीने के लिए देय हैं और इस प्रकार लाइसेंस के आत्मसमर्पण पर रॉयल्टी के चार्ज को एक महीने से अधिक समय में समायोजित किया जा सकता है।

5.वायरलेस स्टेशन लाइसेंस के विलंबित रिन्यूवल के लिए सरचार्ज / लेट फीस: विभिन्न लाइसेंसों के विलंबित नवीनीकरण के लिए अधिभार / लेट शुल्क कुल राशि पर लगाया जाएगा (यानी लाइसेंस शुल्क और रॉयल्टी शुल्क) @ 2% प्रति माह या उसके भाग पर, जो न्यूनतम रुपये 250 / - प्रति लाइसेंस होगा। यदि विलंब में एक वर्ष से अधिक की देरी हो रही है, तो उक्त विलंब शुल्क वार्षिक चक्रवृद्धि तरीके से लागू किया जाएगा।

6. यह वायरलेस वित्त प्रभाग की सहमति से जारी होता है, दिनांक 19/5/12 पत्रांक संख्या 482/Sr.DDG(WPF)

7.यह आदेश 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा।.

इनको प्रतिलिपि

1. सभी संबंधित
2. वायरलेस वित्त प्रभाग
3. वायरलेस निगरानी संगठन
4. निदेशक, आईटी DoT अपलोड करने के लिए DoT वेबसाइट पर
5. DWA (ASMS) अपलोड करने के लिए WPC विंग की वेबसाइट पर

विरेश गोयल
सहायक वायरलेस सलाहकार
भारत सरकार के लिए

भारत संचार भवन, हरीश चन्द्र माथुर जेन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001, भारत

अनुपम श्रीवास्तव
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

आदरणीय मैडम,
यह i.OI/UL जारी करने और उसके बाद उसे आयात करने को लेकर WPC को सैटेलाइट फोन के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करने के संबंध में है। मैं आपके निम्नलिखित के बारे में अवगत कराना चाहता हूं:
दिनांक 12.06.2017 को जारी पंत्राक संख्या BOO-87/2LI1l-cs- l(Pt-ll) में बीएसएनएल को यूज़र की तरफ से सैटेलाइट फोन का टायर आयात करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

परिणामस्वरूप BSNL उपयोगकर्ताओं / ग्राहकों की ओर से DOT से ar.d m-.m1 लाइसेंस और गृह मंत्रालय से HOC लेता है। दूरसंचार विभा स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क के रूप में प्रति सैटेलाइट फोन पर 14250 रुपये के निर्धारित शुल्क ले रहा है और उपयोगकर्ताओं को हैंडसेट के आयात और जारी करने से पहले 1.01 को जारी करने के समय भुगतान करने के लिए कहा जाता है।
3. उपयोगकर्ता विभाग फंड और वित्तीय सहमति की उपलब्धता और कई अन्य कारकों आदि सहित कई कारकों के कारण बीएसएनएल को तुरंत ऑर्डर नहीं देता है। बीएसएनएल द्वारा हैंडसेट खरीदने और उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सैटेलाइट फोन प्राप्त करने के बीच 3 से 6 महीने का अंतराल होता है। बीएसएनएल 1,0 जारी करने के समय अग्रिम में उपयोगकर्ताओं की ओर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करता है!
4. उपयोगकर्ता विभाग प्रक्रिया/दिशा-निर्देश बनाने/ फोन खरीदने/ सब्सक्रिप्शन देने जैसे कई कारणों से अपना समय लेता है। बीएसएनएल उपयोगकर्ता विभाग पर कोई समय सीमा नहीं लगा सकता। इसमें बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि यह अभ्यास 13TS वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के लिए अन्य वायरलेस स्पेक्ट्रम अनुमति के लिए तो अच्छा है लेकिन यह समान अभ्यास सैटेलाइट फोन सर्विस के स्पेक्ट्रम शुल्म पर लागू नहीं करना चाहिए। उपयोगकर्ता के पास उपकरण मौजूद है और उसे पुरानी तारीख पर भुगतान करने को कहा जा रहा है।

6.दूरसंचार विभाग द्वारा डब्ल्यूपीसी को लिखे गए पंत्राक संख्या J-19044/7/2015-SAT-Q6.07.2017 के पारा 4 में बताया गया है एचसी स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग पद्धति के शुल्क को जांच के दायरे में रखा गया है। बीएसएनएल ने पहले ही स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। नौ महीने पहले ही गुजर चुके हैं और हम अब भी स्पेक्ट्रम के भुगतान की पद्धति में होने वाले बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। अब नवीनीकरण की तारीख भी आ रही है और बीएसएनएल को अपनी जेब से भुगतान करना होगा।

7. मैंने इन चिंताओं पर दिनांक 20.09.2017 को प्रेषित पत्रांक संख्या 100*81 /2016-TPL *[R]* में आपके सामने प्रकाश डाला था। शुल्क लेने की विधि AGR के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि उपग्रह फोन प्रदान करने की जीएसपीएस सेवा वाणिज्यिक VSAT सेवा के समान है। 2014 में दूरसंचार विभाग को अपनी अनुशंसा में ट्राई ने इनमारसैट सेवाओं के लाइसेंस शुल्क को @ 8% की दर पर चार्ज करने की सिफारिश की है। इसलिए WPC के स्पेक्ट्रम शुल्क भी AGR के आधार पर वसूल किए जाने चाहिए। यह पूरी तरह से किसी भी अस्पष्टता के बिना प्रक्रिया को सरल करेगा।

मैं इस बात के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मामले में उपयुक्त निर्देश दें क्योंकि BSNL उस अवधि के लिए शुल्क का भुगतान कर रहा है जब उपयोगकर्ता को सैटेलाइट हैंडसेट जारी नहीं दिए गए थे।

आदर सहित

भवदीय

अनुपम श्रीवास्तव

श्रीमति अरुणा सुंदरराजन, आईएएस
अध्यक्ष दूरसंचार और सचिव (तकनीकी)
संचार भवन, नई दिल्ली-110001

अस्वीकरण: यह दस्तावेज मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित दस्तावेज का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह दस्तावेज मान्य होगा।